330
7

संख्या–1229/IV(2)-श0वि0–2016–74(सा0)15टी0सी0–1

प्रेषक,

डी0एस0 गर्ब्याल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 26 जुलाई, 2016

**विषयः "अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत)" के अन्तर्गत चयनित 06 नगर निगमों को SAAP/डी0पी0आर0 निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अर्द्धशा0पत्र संख्याः 14012/95/2015-SC-II(Part), दिनांक 24.07.2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अमृत योजनान्तर्गत चयनित 06 नगर निगमों का चयन करते हुए State Annual Action Plan (SAAP) तैयार किए जाने हेतु प्रति नगर निगम ₹25.00 लाख, इस प्रकार चयनित 06 नगर निगमों हेतु ₹150.00 लाख की धनराशि संस्तुत की गयी है। तत्क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अमृत योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा अवमुक्त धनराशि **₹150.00 लाख (रूपये एक करोड़ पचास लाख मात्र)** की धनराशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि को व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त धनराशि **कुल ₹150.00 लाख (रूपये एक करोड़ पचास लाख मात्र)** आपके द्वारा आहरित कर योजनान्तर्गत चयनित नगर निगमों को प्रति नगर निगम ₹25.00 लाख की दर से बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

3– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यावर्तन अन्य मदों में नहीं किया जायेगा एवं मितव्ययिता की मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जायेगा।

4– स्वीकृत धनराशि का उपयोग वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं मितव्ययिता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

5– स्वीकृति के सापेक्ष कार्य यदि कार्य किसी अन्य मद/योजना से करा लिया गया है, तो उक्त स्वीकृत कार्य के सापेक्ष धनराशि राजकोष में जमा करा दी जाय।

6– धनराशि के उपयोग के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा जारी guidelines/Toolkit एवं समय–समय पर निर्गत आदेशों में उल्लिखित निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

7– शहरी विकास निदेशालय (नोडल एजेन्सी) द्वारा उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय विवरण नगर निकायों से प्राप्त कर एवं उनका परीक्षण कर स्पष्ट मंतव्य सहित शासन को प्रस्तुत किया जायेगा।

..2/-....

8– धनराशि का दिनांक 31–3–2017 तक पूर्ण उपयोग कर, कार्यों का कार्यवार वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

9– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016–17 के आय–व्ययक के अनुदान सं0–13–लेखाशीर्षक "2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–आयोजनागत–800–अन्य व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजना–11–अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

10– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0सं0– 298/XXVII(2)/2016, दिनांक 15.07.2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्न–एलॉटमेन्ट आई0डी0 S.160713018S

भवदीय,

(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव।

संख्या 1229(1)/IV(2)-श0वि0–2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी/शहरी विकास मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, गढ़वाल/कुमांऊ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
5. जिलाधिकारी, देहरादून/हरिद्वार/ऊधमसिंह नगर/नैनीताल।
6. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/रूद्रपुर/रूड़की/हल्द्वानी–काठगोदाम।
7. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23–लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
9. वित्त अनुभाग–2/संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
10. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि शहरी विकास के जी0ओ0 में इसे शामिल करें।
11. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

( डी0एम0एस0 राणा )
उप सचिव।